

न्यायालय श्रीमान् अपर जिला जज साहब, ब्यावर (राज०)

.....

दिवानी वाद सं. सन् 2010

.....

1. श्री पुत्र श्री जाति निवासी-
.....तहसील-, जिला- (राज०)
2. श्री पुत्र श्री जाति निवासी-
..... तहसील-, जिला- (राज०) वादीगण

बनाम

1. श्री पुत्र श्री जाति निवासी-
तहसील-, जिला- (राज०)
2. उप पंजीयक महोदय,, जिला- (राज०)।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, (राज०)।
4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर।
..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिवानी वाद वास्ते विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा बय, घोषणा एवं निषेधाज्ञा आदि।

श्रीमान् जी,

वादीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

1. यह है कि वाकै ग्राम आराजी खाता सं., खसरा सं., रकबा बीघा, बिसवा, किस्म बारानी 2 स्थित चली आती है।
2. यह है कि उपरोक्त पद सं. 1 अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड (संवत् 2061 से 2064) में प्रतिवादी सं. 1 का नाम अन्य खातेदारों के साथ अमल दरामद हो रखा है।
3. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 ने उपरोक्त पद सं. 1 व 2 में अंकित आराजी स्वयं के हिस्से की भूमि का रकबा यानी 1 बीघा 11 बिसवा में 1/6 हिस्सा (500 वर्ग गज) होना बताया एवं उक्त हिस्से पर स्वयं का कब्जा होना बताते हुए समस्त प्रकार के भार एवं अनुबंधों आदि से मुक्त होने, स्वयं की खातेदारी, कब्जे, काश्त, उपयोग व उपभोग की

होने, स्वयं को उसे प्रत्येक प्रकार से हंस्तान्तरित एवं भारयुक्त करने का भी अधिकारी बताते हुए वादीगण को बेचने की संविदा की।

4. यह है कि इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण के मध्य दिनांक : 12/10/2009 को रुबरु गवाह एक इकरारनाम बेचान भी निष्पादित किया गया।
5. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 दिनांक : 10/10/2009 को वादीगण के पास उपरोक्त वर्णित जायदाद संबंधित दस्तावेज लाया तथा वादीगण को 700 रुपये प्रति वर्ग गज से 500 वर्ग गज भूमि बेचने का प्रस्ताव दिया जिसे कि वादीगण ने मौके पर भूमि तथा दस्तावेजों को देख एवं उचित मानकर स्वीकार कर लिया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक : 12/10/2009 को इकरारनामे बाबत लिखापढ़ी व प्रतिफल प्राप्त करने की दिनांक तय करी। दिनांक : 12/10/2009 को प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को तहसील परिसर में बुलाया एवं पहले से खरीदशुदा 100 रुपये के स्टाम्प पर उपरोक्त वर्णित भूमि के बेचान के इकरारनामे बाबत समस्त उपरिक्त गवाहों के सम्मुख ब्यावर तहसील परिसर में सक्षम दस्तावेज नवीस से टाईप करवाया, जिसे कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने पढ़, सुन व समझ कर अपने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी उक्त इकरारनामे के प्रत्येक पृष्ठ पर कर दी तथा प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त इकरारनामे को नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित भी करवा लिया। प्रतिवादी सं. 1 ने उसी समय वादीगण से प्रतिफल की राशि 2,30,000/- रुपये प्राप्त कर लिये एवं असल इकरारनामा वादीगण को संभला दिया जिसकी एक प्रति प्रतिवादी सं. 1 ने अपने स्वयं के पास रख ली।
6. यह है कि उक्त इकरारनामा बय के अनुसार तय पायी गई सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि (700 रुपये प्रति वर्ग गज से 500 वर्ग गज भूमि) रुपये 3,50,000/- (अक्षरे तीन लाख पचास हजार रुपये) में से आंशिक भुगतान स्वरूप रुपये 2,30,000/- (अक्षरे दो लाख तीस हजार रुपये) प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 12/10/2009 को ही वादीगण से नकद प्राप्त कर लिये की जिस तथ्य को प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त इकरारनामा बेचान में भी स्वीकारा है।
7. यह है कि खर्चा बेचान तमाम वादी को वहन करने की शर्त के अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त बयतलब आराजियात आदि का नियमित विक्रय विलेख इकरारनामे के निष्पादन की दिनांक से तीन माह में वादी के व/या उसके नाम निर्देशिती के पक्ष में निष्पादित करने एवं विधिवत् रूप से पंजीवद्ध कराने, मौके पर बयतलब आराजी आदि को नपवाकर पत्थर गढ़ी करवा कर क्रेता का कब्जा अधिकार मालिकाना हक व आधिपत्य करवा दिये जाने सहित कब्जाशुदा भूमि के कब्जा बाबत कोई भी विवाद नहीं

- किये जाने एवं नियमित विक्रय विलेख वादीगण के पक्ष में निष्पादित करने एवं उसे विधिवत् रूप से पंजीबद्ध कराने आदि की शर्तें भी तय पाई गई थी।
8. यह है कि अन्य शर्तें इकरारनामा बय में अंकितानुसार तय पाई गई की जो उभय पक्षकारान पर बाध्यकारी प्रभाव रखती है।
 9. यह है कि इकरारनामा बय में अंकितानुसार वादी स्वयं की शर्तों की पालना करते हुए शेष विक्रय प्रतिफल की राशि रुपये 1,20,000/- प्रतिवादी सं. 1 को अदा कर अपने व/या अपने नाम निर्देशती के पक्ष में स्वयं के खर्चे से नियमित विक्रय विलेख निष्पादित कर उसे विधिवत् से पंजीबद्ध करवाने को सदैव इच्छुक, तैयार एवं तत्पर रहा है, आज भी है एवं भविष्य में भी रहेगा की जो तथ्य प्रतिवादी सं. 1 की भी पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में प्रारम्भ से ही चला आता है।
 10. यह है कि उक्त के बावजूद वस्तुतः प्रतिवादी सं. 1 ही अपने जिम्मे की तयशुदा शरायतो की पालना में कासिर रहा है एवं दिनांक : 12/10/2009 के पश्चात् से लगातार किये जा रहे वादीगण के अनेकानेक तलब व तकाजो के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जिम्मे की शर्तों की पालना नहीं की है, ना प्रतिवादी सं. 1 ने बयतलब आराजियात के मौके पर नाप आदि ही करवाया है एवं किसी न किसी बहाने व अपने जिम्मे के कार्यों के सम्पादन को टालता चला आ रहा है।
 11. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 की नियत उक्त इकरारनामा बय में तय पाई गई शर्तों के प्रतिकूल कृत्य कर एवं वादी द्वारा उसके जिम्मे की शर्तों की पालना करते हुए अर्थात् स्वयं के खर्चे से एवं प्रतिवादी सं. 1 को तयशुदा शेष विक्रय प्रतिफल की राशि रुपये 1,20,000/- अदा कर नियमित विक्रय विलेख निष्पादित करा उसे अपने व/या अपने नाम निर्देशती के पक्ष में पंजीबद्ध कराने हेतु ईच्छुक, तैयार एवं तत्पर रहने के बावजूद अन्य को बेचान करने की थी, की जिसकी जानकारी होते हुये वादीगण ने मजबूरन जरिये अभिभाषक श्री रोहित चोधरी, ब्यावर समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक : 19/01/2010 के संस्करण में एक आम सूचना भी प्रकाशित करनी पड़ी।
 12. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 की नीयत बद हो गयी है एवं वह वादी को सदैव कोई न कोई झूठा आश्वासन देते हुए एवं वादी के इकरारनामा बय के अनुसार इच्छुक, तैयार एवं तत्पर होने के बावजूद वादी के पक्ष में नियमित विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन को टालता चला आ रहा है एवं वस्तुतः प्रतिवादी सं. 1 ही अपने जिम्मे की तयशुदा शरायतो की पालना में कासिर रहा है।
 13. यह है कि जुबानी तलब व तकाजो के अलावा प्रार्थी ने पने अभिभाषक श्री रोहित चोधरी, ब्यावर के जरिये अप्रार्थी सं. 1 को पंजीकृत पावती सूचना पत्र दिनांक : 5/01/2010 व दिनांक : 11/01/2010 तथा यू पी सी दिनांक : 11/01/2010

प्रेषित करते हुये इकरारनामा बय मे तयशुदा शरायतानुसार वादीगण के पक्ष में नियमित विक्रय विलेख निष्पादित कर उसे विधिवत् रूप से पंजीबद्ध कराने की मांग की। दिनांक : 5/01/2010 के सूचना पत्र को अप्रार्थी सं. 1 ने घर के अन्य सदस्यों से मिली भगत कर लौटवा दिया जबकि वादीगण ने उक्त सूचना पत्र व उसके तथ्यों की जानकारी प्रतिवादी सं. 1 को मौखिक रूप से पहले से दे दी थी। प्रतिवादी सं. 1 के उक्त कृत्य को देखते हुये वादीगण ने एक द्वितीय सूचना पत्र दिनांक : 11/01/2010 तथा यू पी सी दिनांक : 11/01/2010 प्रतिवादी सं. 1 को प्रेषित की, जिस यू पी सी को प्रतिवादी सं. 1 ने प्राप्त कर लिया तथा जानबूझ कर पंजीकृत नोटिस को घर के अन्य सदस्यों से मिली भगत कर लौटवा दिया जबकि वादीगण ने उक्त सूचना पत्र व उसके तथ्यों की जानकारी थी बावजूद सूचना प्रतिवादी सं. 1 ने उसकी पालना नहीं की। अतः ही मौजूदा वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

14. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक : 19/01/2010 को जरिये अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रेषित दिनांक : 11/01/2010 के नोटिस का जवाब प्रेषित किया। उक्त नोटिस में अंकित केवल मात्र इस कथन से इनकारी नहीं है कि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि बाबत बेचान का इकरार हुआ था। उक्त नोटिस में वर्णित अन्य कथन सर्वथा झुठे, गलत व बेबुनियाद हैं। उक्त जवाब पत्र सद्भाविक नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये इकरारनामे एवं उससे वादी को प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति में अनुचित विलम्ब पहुंचाने की स्पष्ट बदनियती से प्रेषित किया गया है, कि जो कि प्रतिवादी सं. 1 की उक्त इकरारनामे की पालना न करने की मानसिकता व/या इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कि उपरोक्त बाबत जब वादीगण व अशरफ ने प्रतिवादी सं. 1 से संपर्क किया तो प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी गलती स्वीकार कर ली एवं दिनांक : 22/01/2010 तक दिनांक : 12/10/2009 के इकरारनामे अनुसार वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि बाबत पंजियन कराने हेतु तैयार हो गया।
15. यह है की दिनांक : 22/01/2010 को वादीगण बाकि बची प्रतिफल की राशी लेकर पूर्व निर्धारित अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का इंतजार तहसील परिसर, ब्यावर में पुरे दिन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 अपने किये वादे अनुसार तहसील परिसर ब्यावर में नहीं आया।
16. यह है कि कल संपर्क करने पर प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को ऐलानिया तौर पर यह भी कह दिया है कि वादी चाहे जो कर ले वह वादी के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवायेगा एवं उक्त बयतलब आराजी, चाह व निर्माणात आदि को शीघ्र ही अन्य को बेच कर नए क्रेता के पक्ष में न केवल रजिस्ट्री करायेगा वरन् स्वयं के स्थान पर उक्त नए क्रेता

- (अर्थात् तृतीय व्यक्ति) को वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज भी करायेगा। यही नहीं यदि किसी कारणवश वह इसमें सफल नहीं हो सका तो अन्य प्रकार से वह उक्त आराजीयात, चाह व निर्माणात आदि का वर्तमान रूप एवं स्थिति में गंभीर परिवर्तन आदि कर/करा देगा।
17. यह है कि यदि प्रतिवादी सं. 1 उसके द्वारा दी गई धमकी को मूर्त रूप में परिणित कर देता है तो इससे जहां अनावश्यक की वाद बाहुल्यता व प्रकरण में पेचीदगियां बढेगी वही संबंधित अन्य क्रेतागण व/या व्यक्ति भी अपने अपने अधिकरा क्लेम करेंगे। उक्त समस्त के परिणाम स्वरूप वादी को ऐसी असहनीय व अपरिमित क्षति होगी कि जिसे न तो मुद्रा में मुल्यांकित किया जा सकेगा और न प्रतिपूरित ही किया जा सकेगा।
18. यह है कि ऐसी स्थिति में वादीगण, कि जो प्रतिफल के बदले एक सद्भाविक क्रेता होने के साथ साथ स्वयं के जिम्मे की शर्तों की सम्यक पालना हेतु सदैव इच्छुक, तैयार व तत्पर रहा है, सम्पत्ति सम्बन्धि अपने विधिक अधिकारों की रक्षा केवल मात्र माननीय न्यायालय के माध्यम से ही कर सकता है। अतः भी मौजूदा वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
19. यह है कि चूंकि प्रतिवादी सं. 2 के यहां प्रतिवादी सं. 1 आराजी, चाह व निर्माणात आदि बमुजिब पद सं. 1, 2 व 3 वाद पत्र का पंजीयन कराने पर आमादा है तथा प्रतिवादी सं. 3 के अधिकार क्षेत्र में तथा प्रतिवादी सं. 4 के यहां उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में किसी अन्य को बेचान कर तबदिलिया करवाना चाहता है। अतः प्रतिवादी सं. 2, 3 व 4 को भी मौजूदा वाद में पक्षकार बनाया गया है।
20. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 के आचरण को देखते हुये यदि प्रतिवादी सं. 2, 3 व 4 को मौजूदा वाद की दायरी से पूर्व निर्धारित समयावधि का सूचना पत्र दिया जाता है एवं तत्पश्चात् वाद दायर किया जाता है तो मौजूदा वाद, कि जिसकी प्रकृति व उसमें चाहा गया अनुतोष अत्यावश्यक होने के साथ साथ तुरंत ही प्रदत्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है, को देखते हुये वाद दायरी का मकसद ही पूर्णतया विफल हो जायेगा। अतः प्रतिवादी सं. 2, 3 व 4 को मौजूदा वाद की दायरी से पूर्व विधिक सूचना पत्र नहीं दिया गया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में छूट दिये जाने बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
21. यह है कि दिनांक : 12/10/2009 से लेकर आज दिवस तक ब्याज बाबत आम रिवाज एवं बाजार धारा 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष का एवं इससे अधिक ही रही है। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान भी उनके द्वारा उधार दी गई राशियों पर इससे भी अधिक एवं ऊँची दर से ब्याज वसूलते हैं। ऐसी स्थिति में विकल्प में वादीगण का यह भी निवेदन करते हैं कि यदि किसी भी कारणवश माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट

अनुपालना की आज्ञाप्ति पारित करना न्यायोचित नहीं समझे तो वादीगण उसके द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दी गई आंशिक विक्रय प्रतिफल की राशि रुपये 2,30,000/— (अक्षरे दो लाख तीस हजार मात्र) एवं उस पर दिनांक : 12/10/2009 से अदायगी के दिवस तक का ब्याज भी दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष में मय वाद व्यय प्राप्त करने के अधिकारी है।

22. यह है कि मौजूदा वाद के कारण माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बमुकाम ग्राम सेदरिया, कि जहां वादग्रस्त आराजी, चाह व निर्माणात आदि स्थित है, वाद पत्र में वर्णित विभिन्न दिवसों को विशेष रूप से दिनांक : 12/10/2009 (कि जब इकरार नामा बय निष्पादित किया गया), दिनांक : 5/01/2010 व दिनांक : 11/01/2010 (कि जब प्रतिवादी सं. 1 को जरिये अधिवक्ता वादीगण ने सूचना पत्र प्रेषित किया), दिनांक : 19/01/2010 (कि जब अखबार में आम सूचना प्रकाशित कराई गई), दिनांक : 19/01/2010 को जब प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रेषित दिनांक : 11/01/2010 के नोटिस का जवाब प्रेषित किया, सहित कल उत्पन्न हुये है एवं प्रतिवादी सं. 1 के आचरण को देखते हुए तत्पश्चात् भी दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे है।

23. यह है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हेतु एवं न्यायशुल्क की अदायगी हेतु मौजूदा वाद का मूल्यांकन वास्ते विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा बय रुपये 2,30,000/— वास्ते घोषणा रुपये 400/— वास्ते निषेधाज्ञा रुपये 400/— एवं वास्ते आज्ञापक व्यादेश रुपये 400/— कुल रुपये 2,31,200/— पर कायम किया जाकर तदनुसार देय न्याय शुल्क की राशि रुपये 14,915/— बतौर न्याय शुल्क मुद्रांक अदा की गई है।

24. यह है कि शपथ पत्र व वाद की द्वितीय कॉपी नियमानुसार साथ में संलग्न है।

उपरोक्त परिस्थितियों में श्रीमान् से निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सव्यय डिक्री किया जाकर वादीगण को स्वयं के पक्ष में निम्नलिखित अनुतोष प्रदत्त किये जावे :-

(क) वाद पत्र के पद सं. 1, 2 व 3 में अंकित आराजी, चाह व निर्माणात आदि बाबत निष्पादित किये गये इकरारनामा बय दिनांक : 12/10/2009 की विनिर्दिष्ट अनुपालना की आज्ञाप्ति कि जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को आदेशित किया जावे कि वह वादीगण से शेष विक्रय प्रतिफल की राशि रुपये 1,20,000/— प्राप्त कर वादीगण के खर्चे से वादीगण व/या उसके नाम निर्देशिती के पक्ष में नियमित विक्रय विलेख निष्पादित कर उसे विधिवत् रूप से पंजीबद्ध करावे व उसके पश्चात् उसे वादीगण को सुपुर्द भी करे।

यदि न्यायालय की आज्ञाप्ति के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ऐसा नहीं करे तो स्वयं माननीय न्यायालय प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एवं उसके लिये वादीगण/उसके नाम निर्देशिती के पक्ष

में नियमित विक्रय विलेख पद सं. 1, 2 व 3 वाद पत्र में अंकित बय तलब आराजी, चाह व निर्माणात आदि बाबत निष्पादित करें एवं उसे पंजीबद्ध करा उसे वादीगण को सुपुर्द भी करें।

(ख) विकल्प में वादीगण का यह भी निवेदन है कि यदि किसी भी कारणवश माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञा पारित करना न्यायोचित नहीं समझे तो वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दी गई आंशिक विक्रय प्रतिफल की राशि रुपये 2,30,000/- (अक्षरे रुपये सोलह हजार मात्र) एवं उस पर दिनांक : 12/10/2009 से अदायगी के दिवस तक का ब्याज भी दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अदा करने की डिक्की बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 पारित की जाये एवं जब तक वादीगण को उक्त पारित की गयी आज्ञा के अनुसार धनराशि की वसूलनी नहीं हो जाती उपरोक्त बय तलब आराजी, चाह व निर्माणात आदि पर वादी का प्रथम प्रभार होना भी अवधारित किया जावे।

(ग) पद सं. 1, 2 व 3 वाद पत्र में अंकित आराजी, चाह व निर्माणात आदि का वास्तविक एवं भौतिक रिक्त आधिपत्य भी वादीगण को दिलाया जावे।

(घ) यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 को उक्त इकरारनामा बय दिनांक : 12/10/2009 के रहते वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को पद सं. 1, 2 व 3 वाद पत्र में अंकित आराजी, चाह व निर्माणात आदि व/या उनके किसी भी हिस्से को , किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व/या भारयुक्त करने/कराने सहित उस पर किसी अन्य व्यक्ति को काबिज कराने व/या भारयुक्त करने/कराने सहित उस पर किसी अन्य व्यक्ति को काबिज कराने व/या उसमें तोड़ फोड़ आदि कर/करा उनका रूप व स्थिति आदि बदलने सहित अन्य ऐसा कोई भी कार्य व/या कार्य का लोप करने/कराने का, कि जो उक्त इकराननामा व/या वादीगण के हितों के प्रतिकूल हो, कोई भी अधिकार नहीं है।

(ङ) जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रतिवादी सं. 1 को निषेधित किया जावे कि वह स्वयं व/या अपने रिश्तेदार, परिवारजन, मित्र, नौकर, चाकर, हाली, मुचतरी, एजेन्ट, मजदूर, कारीगर, आदि (चाह वे कोई भी हो) के जरिये वादीगण के हितों के प्रतिकूल उक्त आराजी, चाह व निर्माणात आदि (बमुजिब पद सं. 1, 2 व 3) में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण, तब्दील, तरमीम आदि नहीं करे, न करावे। न ही ऐसा कोई कार्य व/या कार्य का लोप करें कि जिससे वादीगण उक्त आराजी, चाह व निर्माणात आदि से वंचित हो जाये व/या जो उक्त इकरारनामा बय सहित वादीगण के अधिकारों के प्रतिकूल हो।

यही नहीं प्रतिवादी सं. 1 स्वयं व/या अपने मुख्तार आदि अन्य किसी भी व्यक्ति के जरिये बय तलब आराजी, चाह व निर्माणात आदि व/या उनके किसी भी हिस्से को वादीगण व/या उसके नाम निर्देशिती के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहन, बय, बख्शीश आदि व/या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व/या भारयुक्त नहीं करें, न करावे, न इस हेतु कोई दस्तावेज निष्पादित करे न उसे प्रतिवादी सं. 2 के यहां व/या अन्यत्र

पंजीयन अथवा पंजीयन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ही करे। यही नहीं किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में उक्त आराजी, चाह व निर्माणात आदि व/या उनके किसी भी भाग पर स्वयं के स्थान पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से व/या अन्यथा भी काबिज नहीं करावे।

प्रतिवादी सं. 2 को भी इस आशय से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 स्वयं व/या अपने मुखत्यार आदि अन्य किसी भी व्यक्ति के जरिये उक्त बय तलब आराजी, चाह व निर्माणात आदि व/या उनके किसी भी हिस्से को वादी व/या उसके नाम निर्देशिती के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहन, बय, बख्शीश आदि व/या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व/या भारयुक्त करने वाले यदि किसी भी दस्तावेज को उसके यहां प्रस्तुत करे तो वह न तो उसे पंजीयन आदि के प्रयोजनार्थ प्राप्त करे, न उसका पंजीयन करे और न तत्सम्बन्धी अन्य कोई कार्य ही करे व/या करावे।

(च) जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 1 को आदेशित किया जावे कि वह इकरारनामा बय मे अंकितानुसार भूमि का विक्रय विलेख वादीगण के पक्ष में निषिद्ध कर पंजीबद्ध करावे।

(छ) यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण ऐसा कोई भी कार्य व/या कार्य का लोप कर/करा दे कि जिससे वादीगण को उक्त आराजी, चाह व निर्माणात आदि के उपयोग एवं उपभोग में कोई कठिनाई अथवा न्यूनता आये या जो वादीगण के हितों के प्रतिकूल हो अथवा जिससे उक्त आराजी व चाह की वर्तमान मालिकाना व/या अन्य स्थिति/प्रास्थिति/कब्जे की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन हो जाये तो जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति आराजी व चाह की पूर्ववत् स्थिति उनके स्वयं के खर्चे से प्रतिस्थापित कराई जावे।

(ज) वाद में हुये वादीगण के खर्चे बाबत आज्ञाप्ति।

(झ) अन्य कोई भी अनुबोध जो वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये न्यायसंगत एवं मुफीद वादीगण हो और प्रदान किया जावे।

ब्यावर
दिनांक : 24/01/2010

अभिभाषक
वास्ते वादी
(रोहित चौधरी)

हस्ताक्षर
वादी 1

हस्ताक्षर
वादी 2

सत्यापन

मैं श्री पुत्र श्री जाति निवासी- तहसील- ...
....., जिला- (राज०) सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र में अंकित किये गये समस्त तथ्यात्मक कथन मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य हैं वाद पत्र में अंकित किये गये विधिक कथन मेरे अभिभाषक की विधिक सलाह पर आधारित हैं कि जिन्हे मैं सही

होने का यकिन करता हूँ। वाद पत्र का शेष भाग मेरी प्रार्थना हैं कि जिसे मैं प्राप्त करने की अधिकारी हूँ।

ब्यावर

दिनांक : 24/01/2010

हस्ताक्षर सत्यापितकर्ता

Rohit Chhaba 9928110336